1718/23 9644/2019

NR-875

अतिआवश्यक / महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

सिग्नेचर बिल्डिंग, पुलिस मुख्यालय, चतुर्थ तल, टावर-01/02 गोमती नगर विस्तार, लखनऊ।

संख्याः पांच-500(सं0वरि0-2022-23)2023(स0पु0)

दिनांकःलखनऊःसितम्बर 18, 2023

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, अजनपदीय शाखा
समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक / उत्तर प्रदेश / पीएसी जोन।
समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी मुख्यालय, उत्तर प्रदेश।
समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश / पीएसी सेक्टर
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।
समस्त सेनानानायक, पीएसी वाहिनी, उत्तर प्रदेश।

विषयः- चयन वर्ष-2022 के के सापेक्ष निरीक्षक सशस्त्र पुलिस की निर्गत अन्तिम वरिष्ठता सूची में से मृत / दिनांक:30-06-2023 तक सेवानिवृत्त / बर्खास्त / पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नत को हटाकर चयन वर्ष-2023 के सापेक्ष अद्यतन सूची निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक:18-05-2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चयन वर्ष-2022 के प्रथम दिवस अर्थात दिनांक:01-07-2022 को 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके / नोशनल पदोन्नति प्राप्त निरीक्षक सशस्त्र पुलिस से आपत्तियां प्राप्त कर उनका निराकरण कर उनकी अन्तिम वरिष्ठता सूची निर्गत की गयी है।

2- उपरोक्त सम्बन्ध में कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली-2015 के नियम 22(घ)-(4) में पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त दलनायकों की ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने की निम्न व्यवस्था दी गयी है:-

(4)-पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त कर्मियों की ज्येष्ठता उनके चयन की तिथि के आधार पर अवधारित की जायेगी। एक ही चयन तिथि में नियुक्त किये गये कर्मियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उनके पोषक संवर्ग में वरिष्ठता के अनुरूप होगी तथा पूर्ववर्ती वर्ष में चयनित कर्मी पश्चातवर्ती वर्ष में चयनित कर्मियों से ज्येष्ठ होगें। यहां चयन की तिथि का तात्पर्य भर्ती प्रकिया के उपरान्त बोर्ड अथवा चयन समिति द्वारा भेजी गयी चयन सूची को विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने की तिथि से है।

3- उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा नियमावली-2016 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा द्वितीय संशोधन, नियमावली,2023 के नियम भर्ती का श्रोत 5 (1)(दो) में निम्न व्यवस्था दी गयी है:-

भर्ती का श्रोतः

5-(1)(दो) पचास प्रतिशत पद, जिनमें 89 प्रतिशत नागरिक पुलिस निरीक्षकों और 11 प्रतिशत सशस्त्र पुलिस कम्पनी कमाण्डरों / प्रतिसार निरीक्षकों के पद सम्मिलित है, नागरिक पुलिस और सशस्त्र पुलिस के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे निरीक्षकों में से जिन्होने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली जो और उक्त पद पर स्थाई भी हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वाराः

4- नियमावली के नियम-16 साधारण श्रेणी हेतु आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया में निम्न व्यवस्था दी गयी है :-

I/c WEBSITE

साधारण श्रेणी हेतु आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकियाः

16- साधारण श्रेणी हेतु पदोन्नति द्वारा भर्ती, मौलिक रूप से नियुक्त **89 प्रतिशत नागरिक पुलिस निरीक्षकों और 11 प्रतिशत सशस्त्र पुलिस कम्पनी कमांडरों / प्रतिसार निरीक्षकों** में से विभागाध्यक्ष द्वारा तैयार की गयी उनकी पृथक-पृथक ज्येष्ठता सूची के अनुसार योग्यता सूची के आधार पर, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति(प्रकिया)नियमावली-1970 के अनुसार की जायेगी।

SP/AD
19/09/23

5– उपरोक्त वर्णित उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली–2015 (यथासंशोधित) एवं उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा नियमावली–2016 (यथा संशोधित) में दी गयी व्यवस्थानुसार चयन वर्ष 2022 के सापेक्ष निर्गत 159 कर्मियों की सूची में से दिनांक:30–06–2023 तक सेवानिवृत्त 03 कर्मी एवं पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नति प्राप्त 14 कर्मी , कुल 17 को हटाकर एवं 01 कर्मी जिनका नाम पूर्व की सूची में छूट गया था, को जोड़ते हुये कुल 143 कम्पनी कमाण्डरों/प्रतिसार निरीक्षक की सूची निर्गत की जा रही है।

6– अतः उपरोक्तानुसार चयन चयन वर्ष–2022 के के सापेक्ष निरीक्षक सशस्त्र पुलिस की निर्गत अन्तिम वरिष्ठता सूची में से मृत/दिनांक:30–06–2023 तक सेवानिवृत्त/बर्खास्त/पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नत को हटाकर चयन वर्ष 2023 हेतु सशस्त्र पुलिस के कंपनी कमाण्डरों/प्रतिसार निरीक्षक की अद्यतन वरिष्ठता सूची निर्गत की जा रही है। उक्त सूची उ0प्र0 पुलिस की वेब–साइट पर भी प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नकः–यथोपरि।

18/07

पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक/सहायक निदेशक, उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, तकनीकी सेवाएं मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध से कि कृपया उपरोक्तानुसार पत्र/सूची उ0प्र0 पुलिस की वेब–साइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को वरिष्ठता सूची की एक प्रति सहित कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– प्रमुख सचिव, गृह(पुलिस सेवाएं) अनुभाग–01, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2– अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।